प्रेस विज्ञप्ति

*जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 12.07.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेहदावल पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 13/2025 धारा 87,137(2), 65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह निवासी सोनौरा बुजुर्ग थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को टड़वरिया चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 10.01.2025 को थाना मेहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए प्रकाश में आये उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 12.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, हे0का0 रोहित कुमार, म0का0 मंजू निषाद।

*** थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपनी 02 नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पिता को किया गया गिरफ्तार***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 622/2025 धारा 65(1), 64(2)(f) बीएनएस व 3(क)/4(2) पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त को आज दिनाँक 12.07.2025 को मेहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 11.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की नाबालिग पुत्रियों के साथ वादिनी के पति द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 12.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, हे0का0 रामरतन, का0 कमलेश यादव, का0 आकाश कुमार यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बलवा, लज्जाभंग, मारपीट व चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त को 01 अदद मोबाईल के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 172/2025 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 333,305, 74, 62, 324(2), 117(2),317(2) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर मे वांछित अभियुक्त नाम पता वाल्मिकी यादव पुत्र काशी यादव सा0 वार्ड नं0 3 भीतरी टोला न0पं0 बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद मोबाईल के साथ आज दिनाँक 12.07.2025 को नगर पंचायत बेलहर कला में दूध के डेयरी के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनाँक 08.07.2025 को उक्त अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा वादी के घर में घुसकर हमला करने, छेड़खानी करने, गाली गलौज करने व बरामदे से मोबाईल उठा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 12.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त नाम पता- वाल्मिकी यादव पुत्र काशी यादव सा0 वार्ड नं0 3 भीतरी टोला न0पं0 बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः- 01 अदद मोबाईल।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, का0 रोहित कुमार, का0 मनीष प्रसाद।